न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 176/2018

आरसीएमएस नं. 2018/00299

दर्शन सिंह पुत्र गुरबचन सिह जाति कुम्हार साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलार्थी

बनाम

1. मक्खन सिंह
2. जंगीर सिंह
3. बलवीर सिह
4. बख्तावर सिह

(1–4) पि0 हरदेव सिंह जाति साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

5. सतपाल सिह
6. गुमरमीत सिह

(5–6) दिलावर सिंह

7. जंग सिह पुत्र लाभ सिह
8. मुखराम
9. रूपराम

(8–9) पि0 मन्शाराम जाति कुम्हार साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

10. प्रकाश कौर उर्फ गुरमेल कौर पत्नी जगरूप सिंह
11. अमरजीत सिंह पुत्र बख्तावर सिंह

12/1 वीर सिह पुत्र जंगीर सिंह

12/2 गुरदीप सिह पुत्र जंगीर सिंह

12/3 जीत सिह पुत्र जंगीर सिंह

12/4 हमीर सिह पुत्र जंगीर सिंह

12/5 तेजकौर पत्नी जंगीर सिंह

13. नक्षत्र सिंह पुत्र. गुरबचन सिह
14. मलकीत सिह पुत्र मिटू सिह
15. राजपाल सिह पुत्र मिटू सिह

(10–15) जाति कुम्हार साकिन अयालकी, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

16. जसविन्द्र कौर पत्नी अजमेर सिह जाति जटसिख साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
17. जरिये शाखा प्रबन्ध एस.बी.बी.जे. हाल एसबी आई शाखा गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

— **रेस्पोडेंट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 223 आरटीएक्ट
सहायक कलक्टर पीलीबंगा विरूद्व आदेश दिनांक 03.04.2018,
प्र. सं. 60/2012 अनवान मक्खन सिह बनाम जंगीर सिंह आदि

श्री जसपाल सिह दहिया, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अजयपाल सिह चौहान, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4
श्री जगजीत सिह रमाणा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 10
श्री कुलदीप सिह धालीवाल, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 16

निर्णय दिनांक 26.07.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 188 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वाद पत्र में वर्णित चक 17 एमओडी जमाबन्दी सम्वत 2065—2068 खात संख्या 40/72 में कुल तादादी 9.361 है0 कृषिभूमि एवं चक नम्बर 12 जे.आर. के. जमाबन्दी सम्वत 2068—71 के खाता संख्या 31/31 में 13.156 है0 व इसी चक के खात संख्या 66/66 में 2.783 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना, वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अरसा पूर्व घराघरू विभाजन दिनांक 09.09.2009 को होना व अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज होना बताते हुए चक नं0 20 जे.आर. के व 17 एमओडी में स्थिति कुल 11.10 बीघा कृषि भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार घोषित करने, खाता विभाजन करने एवं शाश्वत व्यादेश जारी करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी सं0 1 ता 5 व 10 के राजीनामा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अनुसार वाद वादी आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि दिनांक 30.10.2015 को वादी की अदम पैरवी अदम हाजरी में वादी का दावा खरिज किया जिसे रेस्टोर किया गया रेस्टोर करने के उपरान्त अपीलार्थी/प्रतिवादी नं. 11 एव अन्य प्रतिवादीगणों को तलब नही किया गया। जिसेस मुझ प्रतिवादी नं. 11/अपीलार्थी को उक्त अनवान के दावा में न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर निर्णय पारित किया है। प्रकरण में 0.835 है0 कृषि भमि का संयुक्त खाता की खरीद होने का वर्णन निर्णय व डिक्री में किया गया है। जबकि कोई भी संयुक्त खातेदार सांझा खात की कृषि भूमि के विशेष हिस्से का बेचान नहीं कर सकता है ना ही संयुक्त भूमि को क्रेता खरीद सकता है। अधीनस्थ न्यायलाय ने प्रतिवादी नं. 7, 8, 9 को विधि विरूद्ध बैयनामों के अनुसार कृषि भूमि का खाता विभाजन में देकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 16 में से केवल मात्र वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 व 10 ने राजीनामा व प्रतिवादी नं. नं. 7, 8, 9 का प्रतिदावा पेश हुआ है। अपीलार्थी एवं प्रतिवादी नं. 11 को व अन्य प्रतिवादीगण को जवाब दावा या साक्ष्य सबूत या गवाही आदि का कोई मौका हीं नहीं दिया। सभी हिस्सेदारों के स्थान पर केवल कुछ हिस्सेदार आपस में राजीनामा एवं प्रतिदावा पेश करने के अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने रजास्थान कातश्कारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रास्ता एवं खाला की सुविधा को अनदेखा किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अपीलाधीन आदेश राजीनामा एवं कब्जा एवं प्रतिदावा के आधार पर उभयपक्ष को सुनकर पारित्त किया गया है। जितना हमारा हक हिस्सा उतनी ही भूमि हमें मिली है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है जो खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने खाता विभाजन, अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जो दिनांक 30.10.2015 को वाद अदम हाजरी में खारिज हो गया। ववाद को दिनांक 02.03.2016 को पुनः नंबर पर लिया गया । पुनः नंबर पर लेने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 5 व 10 ने राजीनामा पेश किया एवं प्रतिवादी सं0 7, 8, 9 की और जवाब दावा में प्रतिदावा पेश किया गया। अपीलाण्ट को तलब नहीं किया गया है अपीलाण्ट ने ना तो कोई राजीनामा पेश किया एव ना ही उसके द्वारा प्रतिदावा पेश किया गया था। इस प्रकार अपीलधीन निण्रय अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाता की भूमि है। वादी एवं प्रतिवादीगण के हक व हिस्सा का कहीं वर्णन नहीं किया कि संयुक्त खाता की कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सा में कौन से खाता की कितनी कृषि भूमि आती है। ना ही प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से की पालना की गई है। अपीलाण्ट संयुक्त खातेदार काश्तकार है उसे सुने बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरौक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.04.2018 अपास्त है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.7.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/7/22

(कमलप्रीत सिंह पुनिया)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़